ૐકાર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
'માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા'
ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-6 अंक : 87

सहयोग शुल्क : रु. 1 / मार्च : 2024

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

साधना ढांड सच्ची साधना
और परिश्रम का पर्याय है ।
– संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

साधना ढांड कला के क्षेत्र में अपने
कद से भी कहीं ऊंचा नाम है ।
– प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

साधना ढांड एक ऐसा नाम जो कला के क्षेत्र में साधना और लगन का पर्याय बन गया है । बचपन में ही अस्थिजन्य लाइलाज बीमारी आइस्टियोजेनेसिस इंपर्फक्टा के ग्रसित होने से उनका शारीरिक कद मर्यादित हो गया लेकिन कला के क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग कर और सच्ची साधना कर के उन्होंने कई कीर्तिमान बनाये हैं । अगर इनसान अपनी शारीरिक मर्यादाओं को भूलाकर सच्ची साधना और लगन से किसी भी क्षेत्र में परिश्रम करें तो आगे बढ सकता है यह साधना ढांड ने कर दिखाया है । कद में छोटी होने के बाद भी उन्होंने हिमालय की ऊंचाईयों जैसी सफलता प्राप्त कर हर दिव्यांग का मनोबल बढाया है और गौरवान्वित किया है । साधना ढांड की कला और कला के क्षेत्र में उनकी इस साधना को हमारा नमन और उनके उज्जवल भविष्य के लिए अनेकानेक शुभकामनाएं ।

दिव्यांगजन अधिनियम के बारे में जितनी भी चर्चा करें और उसमें दर्शाये गये अधिकारों के बारे में जितनी भी जानकारी साझा करें हमेशां ऐसा ही लगेगा कि कुछ रह गया । जिस तरह से हर सनातनी हिन्दु को अपने धर्मग्रंथों के प्रति जो आदर और श्रद्धा होती है, संविधान के प्रति हर नागरिक को जो श्रद्धा और सम्मान होता है उतना ही सम्मानीय और श्रद्धेय दिव्यांगजन अधिनियम 2016 हर दिव्यांग के लिए हैं । दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के प्रति हम हमारी श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित करते हैं और हर दिव्यांगजन के लिए उसका उचित उपयोग हों और हर दिव्यांग को उसके अधिकार मिलें और सम्मान मिले इसकी कामना करते हैं ।

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

मार्च : 2024, पृष्ठ संख्या : 16

वर्ष-6 अंक : 87

प्रेरणास्त्रोत और संपादक

मंत्रयुगपरिवर्तक ॐकार महामंडलेश्वर १००८
प. पू. संतश्री सद्‌गुरु ॐऋषि स्वामी ।

सह-संपादक

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

संपर्क-सूत्र

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

मुद्रक

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

छोटे कद की बड़ी कलाकार साधना ढांड ने अपनी साधना के बल पर नाम रोशन किया ।

सवा महीने की उम्र में शरीर की हड्डी टूट जाए । फिर हल्की चोट से भी शरीर की हड्डियां टूटने लगें और यह सिलसिला उम्र के 64वें वर्ष तक भी जारी रहे तो हड्डियों के साथ हौसला भी टूट जाए, लेकिन साधना ढांड एक ऐसा नाम हैं, जिन्होंने 100 बार से ज्यादा हड्डियों के फ्रेक्चर को झेलने के बाद भी अपने हौसले को कभी टूटने नहीं दिया । खुद के असहनीय दर्द के बाद भी उसे भूलाकर जिनके मन में दूसरों की तकलीफ दूर करने का जज्बा रहा है । कई तरह की शारीरिक व्याधियों से पीड़ित होने के बाद भी साधना ढांड ने कला की 'साधना' में अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है । दिव्यांग साधना ढांड एक बेहतरीन पेंटर, लाजवाब फोटोग्राफर और अकल्पनीय स्क्ल्पचर आर्टिस्ट हैं।

तमाम बाधाओं के बावजूद अगर कुछ कर गुजरने का होसला हो तो इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता । कुछ ऐसा ही कर दिखाया है रायपुर की इस कलाकार साधना ढांड ने । बचपन से ही शारीरिक रूप से असक्षम साधना छत्तीसगढ़ के कला क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जिन्हे कई चुनौतियों के बीच कला के प्रति खास स्नेह और रचनात्मक के लिए जाना जाता है ।

साधना ढांड का जन्म एक अस्थिजन्य लाइलाज बीमारी के साथ हुआ है । आइस्टियोजेनेसिस इंपर्फक्टा नामक इस बीमारी में हड्डियां कांच की तरह होती हैं, जो हल्की चोट पर भी टूट जाती हैं । इस बीमारी ने शरीर के विकास को भी रोक दिया, और साधना की ऊंचाई महज 3 फीट 3 इंच पर रुक गई । 9 साल की थीं तब श्रवण क्षमता भी कमजोर होने लगी और धीरे-धीरे सुनाई देना भी बंद हो गया । मां और परिवार के अन्य सदस्यों ने साधना को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और पढ़ाई में शारीरिक व्याधि की समस्या को देखते हुए उन्हें कला की ओर मोड़ा ।

बचपन से ही हड्डी की लाइलाज बीमारी का शिकार साधना ढांड एक ऐसी कलाकार हैं जो 13 हज़ार से भी ज्यादा लोगों को पेंटिंग और फोटोग्राफी की ट्रेनिंग दे चुकी

हैं। वे सामान्य व्यक्ति से अलग दिखाई देती हैं। साधना बताती हैं की "बचपन में मेरा कोई दोस्त नहीं था क्योंकि एक कम कद वाली लड़की जिसके बोलने पर मुंह से अजीब आवाजें निकलें भला दोस्ती कौन करेगा। सुनने की क्षमता भी धीरे धीरे काम होती जा रही थी।" साधना की जिंदगी बेरंग थी लेकिन उन्हें रंगों से खेलना अच्छा लगता था। वे कई घंटों रंगों की लकीरें कागज पर बिखेरती। धीरे धीरे उनका लगाव पेंटिंग और फोटोग्राफी में बढ़ता गया। कई सारी मुश्किलें आई पर अपने पक्के इरादों से वो अपनी सभी परेशनियों से लड़ती गई। इन सबके बावजूद साधना का छोटा कद उनकी कला साधना से बड़ा नज़र आता है। नि:शक्त होते हुए भी साधना की बहुमुखी कलात्मकता आम आदमी से ज़्यादा सशक्त नज़र आती है। साधना ढांड मूलत: चित्रकार है जिसकी श्रेष्ठता म्यूरल्स एवं मूर्ति कला में है ,लेकिन उन्होंने अपने होब्बीस फोटोग्राफी एवं बोन्साई गार्डेनिंग में भी परम्परागत हासिल की है।

बारह साल की उम्र में उनकी श्रवण शक्ति भी चली गई थी और अब तक इस बीमारी से उनके शरीर में करीब 80 फ्रैकचर हो चुके है। इस लाइलाज बीमारी के बावजूद वह न सिर्फ अपने शौक को अपनी पहचान बनाए हुए है ,बल्कि पिछले तीस सालो से हज़ारो छात्रों को कला की शिक्षा दे रही है।

वह बताती है कि- "मुझे अपने छात्र- छात्राओं से अत्यधिक सहयोग एवं प्यार मिला है ,जो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है।"

मां बनी गुरु, सिखाया जीने का तरीका

साधना ढांड ने बताया कि "विपरीत परिस्थितियों में भी हौसले को कायम रखने के लिए उन्हें मां ने तैयार किया। लगातार मां जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहीं।" इस बीच पेंटिंग व

अन्य कलाओं की ओर रुझान बढ़ाने के लिए मां ने ही प्रथम गुरु की भूमिका निभाई। शुरुआती कई साल तक मां ही कागज और कैनवास पर रंग भरना सीखाती रहीं। फिर मां से पेंटिंग व अन्य रचनाकर्म का प्रशिक्षण लेने के बाद पेशेवर तरीके से महाकौशल फाईन आर्ट कॉलेज से विशेष योग्यता के साथ डिप्लोमा किया। साधना ढांड ने बताया की अपनी मुश्किलों का सामना करना और अपनी छिप्पी प्रतिभा को पहचानने में उनकी मां स्वर्गीय श्रीमती राजकुमारी ढांड का अहम योगदान रहा है । उनके मदद से साधना ने क्रिएटिव लक्ष्य को प्राप्त किया है। शारीरिक व्याधियों के बावजूद सुश्री ढांड यहीं नहीं रुकीं, वे अन्य विधाओं में मूर्तिकला, बोनसाई, फोटोग्राफी जैसे नए प्रयोग से अपनी कला को परिष्कृत करती रही हैं।

पुरस्कार और सम्मानः

विषम स्थितियों में भी हमेशा खुश रहने व मुस्कुराने वाली साधना सभी के लिए प्रेरणाश्रोत है । साधना ढांड को उनकी कलाकृतियों के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले है। इसके अलावा उन्हें पेंटिंग और फोटोग्राफी के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई खिताबों से नवाजा गया हैं। साधना ने देश के विभिन्न कोने में कई एक्सहिबिशन्स द्वारा, अपनी कला का प्रदर्शन किया है और इन्हे कई अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है । 2013 में भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सेपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेर्स ने इन्हे विकलांगजनो के रोल मॉडल के रूप में उनके उत्कृष्ट कार्य को सराहा और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया । साधना को उनके असाधारण कौशल के लिए विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से पुरस्कार मिला है।1998 में, उन्हें अखिल भारतीय ललित कला प्रदर्शनी में भगवान गणेश के चित्रों के साथ प्रयोग करने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कला का पुरस्कार मिला। जिसके बाद उन्हें 1999 में छत्तीसगढ़ की फोटोग्राफिक सोसायटी द्वारा उत्कृष्ट फोटोग्राफी के लिए और 2005 में 'स्त्री शक्ति सम्मान' से सम्मानित किया गया था । राज्य चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कला के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए 2011 में 'महिला शक्ति सम्मान' के साथ साधना को सम्मानित किया। शारीरिक सीमाओं से बंधी साधना का कैनवस इतना बड़ा है की हर बार वे उसमे एक नया रंग भर देती है । अपने प्रति प्रकृति की तमाम उपेक्षाओं के बावजूद साधना ढांड की कलाकृतियों में प्रकृति अपने

पूरे वैभव ,गौरव और अनुभव के साथ व्यक्त होती है । वाकई साधना अपने आप में बेमिसाल है ।

अब तक 13 हजार से ज्यादा की बन चुकी हैं गुरु

साधना ढांड ने साल 1981 में दूसरों को भी अपनी कला को बांटने का विचार किया और दूसरों को पेंटिंग का

प्रशिक्षण देना शुरू किया। बीते ३0 साल में वे अबतक 13 हजार से ज्यादा लोगों को पेंटिंग और फाईन आर्ट्स का प्रशिक्षण दे चुकी हैं, जो क्रम अब भी निरंतर जारी है।

अब नाम से शुरू हुआ संस्थान

साधना ढांड की कला के प्रति लगाव और उनसे सीखने वालों की बढ़ती तादात को देखते हुए परिजनों ने प्रयास करते हुए उन्हें समर्पित कर तीन वर्ष पूर्व ही एक संस्थान शुरू किया है, जिसे 'कला साधना संस्थान' नाम दिया गया है। इस संस्थान में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है। यह कोर्स कई लोगों के लिए रोजगारमूलक साबित हो रहा है।

पिछले 30 वर्षों के दौरान, उन्होंने विभिन्न कला रूपों में 13,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया है । इन सबके साथ ही साधना ढांड एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने वाले विभिन्न संगठनों को दान देती हैं । साधना समय-समय पर अपनी कलाओं की प्रदर्शनी (Exhibition) करती है । उन्होंने रायपुर, भिलाई, भोपाल, जयपुर, नागपुर, पुणे और नई दिल्ली में प्रदर्शनियों का आयोजन किया है । इसके आलावा उन्हें गार्डनिंग का भी बहुत शौक है । उनके घर में 200 बोनसाई का संग्रह है और फूलों की सजावट से लेकर लैंडस्केप फोटोग्राफी तक के अपने काम के लिए उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं ।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम २०१६ पारित हुआ है, जिसके द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारो में भारी परिवर्तन लाया गया है । इस अधिनियम को दिव्यांगजन के अधिकारों के यू.एन, कन्वेंशन के अनुरुप भारतीय कानून बनाने के लिए अधिनियिमित किया गया है । इसके द्वारा गरिमा, वैयक्तिक स्वतंत्रता, (तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पसंद चुन सकता है), विभेद रहित तथा सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत को मूर्त रुप दिया गया है ।

(पिछले अंक का अनुसंधान)

४. दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण:

दिव्यांगजनों के आघात योग्य होने और दूसरों पर निर्भर रहने के कारण वे दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के शिकार हो जाते हैं । दुरुपयोग, हिंसा और दुर्व्यवहार से संरक्षण सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार के उपर रखा गया है ।

अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार यह सुनिश्चत करने के लिए एक तंत्र बनायेगी जो दिव्यांगजनों के दुरुपयोग, हिंसा और शोषण की स्थिति में प्रत्येक स्तर पर उनके बचाव के लिए सामने आएगा । दूसरा कदम लोगो को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक करना है जिससे कि दुरुपयोग की घटनाओं को रोका जा सके और यदि ऐसी घटनाएं घटित होती है तो उन घटनाओं की रीपोर्ट करने की प्रक्रिया विहित करना । यह सरकार का दायित्व होगा कि वह इस प्रकार की घटनाओं का संज्ञान लें और उनके लिए विधिक उपचार प्रदान करे । अगले कदम में लोगों का बचाव, संरक्षण और ऐसे दुरुपयोग पीडितों का पुनर्वास करना सम्मिलित है ।

राज्य पार्टियों को यह सुनिश्चित करना है कि संरक्षण सेवायें आयु, लिंग और दिव्यांगता के प्रति संवेदनशील हों और यह भी कि इन सेवाओं पर स्वतंत्र प्रधिकरणों द्वारा निगरानी रखी जाए । दिव्यांगजन किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार हो तो उसका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक उपचार और

पुनर्वास राज्य द्वारा किया जाएगा।

दिव्यांगजनों के दुरुपयोग, हिसा और शोषण से संरक्षण के लए सरकार के अनुपालन हेतु तंत्रः इस अधिनियम में लोगों और रजिस्ट्रीकृत संगठनों को यह शक्ति दी गई है कि वे दिव्यांगजनों के प्रति हो रहे अथवा संभवित दुरुपयोग अथवा हिंसा के लिए अपनी आवाज उठा सके। ऐसी किसी भी स्थिति में एक व्यक्ति अथवा संगठनों को उस कार्यपालक मेजिस्ट्रेट को जिसके अधिकार क्षेत्र में घटना घटित हुई हो जानकारी देनी होगी। कार्यपालक मेजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और उनके स्थानीय अधिकार क्षेत्र (वह क्षेत्र जिसमें वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है) का निर्धारण जिला मेजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में कार्यपालक मेजिस्ट्रेट को दुरुपयोग की घटना न होने देने अथवा रोकने के लिए तत्काल कम उठाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वह कोइ भी अन्य आदेश पारित कर सकता है।

अधिनियम में पुलिस अधिकारियों को यह दायित्व दिया गया है कि वह दुरुपयोग अथवा हिंसा की शिकायत मिलते ही अथवा उसकी जानकारी पाते ही उस पर कार्र्वाई करे। ऐसे पुलिस अधिकारी का यह मुख्य दायित्व होगा कि वह दुरुपयोग से पीडित व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे। उस व्यक्ति को यह बताया जाना चाहिए कि कार्यपालक मेजिस्ट्रेट को लिखित में दे कर संरक्षण पाने का उसका अधिकार है और उसे उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट का विवरण भी दिया जाना होगा जिसके पास वह शिकायत दर्ज कर सके, और उस व्यक्ति को सहायता प्रदान करना किसके अधिकार क्षेत्र में है। पुलिस अधिकारी को प्रभावित व्यक्ति को दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रहे नजदीकी संगठन अथवा संस्थाओ का ब्यौरा भी देना होगा और यह तथ्य भी कि उसे राष्ट्रीय अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उस व्यक्ति को यह भी बताना होगा कि उसे अधिनियम के अंतर्गत अथवा अपराध से संबंधित किसी भी विधि के अंतर्गत शिकायत दायर करने का अधिकार है।

जब कोई संज्ञेय अपराध हो रहा हो अथवा किया गया हो तो पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विधि के अनुसार काम करे केवल इस अधिनियम के अनुसार नहीं । संज्ञेय अपराध वे अपराध है जो गंभीर प्रकृति के है जैसे हत्या, रेप, दहेज हत्या, अपहरण, चोरी और अप्राकृतिक अपराध । दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार पुलिस अधिकारी के प्रथम सूचना रीपोर्ट प्राप्त की होने पर वह इस प्रकार के अपराध की जांच मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कर सकता है । वह बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है-कर सकती है।

५. संरक्षण और सुरक्षाः

अधिनियम में दिव्यांगजनों के लिए जोखिम, सशस्त्र संघर्ष (समुदायों-देशों के मध्य युद्ध) मानवीय आपात स्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं की दशा में संरक्षण और सुरक्षा हेतु विशेष उपबंध किए गए हैं । मानवीय आपात स्थिति से तात्पर्य ऐसी एकल घटना-घटनाओं की श्रृंखला से हैं जो एक समुदाय अथवा एक वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा कल्याण के लिए खतरा उत्पन्न करते हों । ऐसी स्थिति में दिव्यांगजनों के लिए विशेष संरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी अनदेखी की संभावना रहती है । दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करें कि आपदा से

संबंधित स्थितियों से निपटने के लिए किए गए कार्यकलापों में दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया गया है । इस कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि दिव्यांगजनों का अभिलेख रखा जाए । पुनर्निमाण कार्य दिव्यांगजनों की आवश्यकता के अनुरुप पुरा करना सुनिश्चित करने के लिए पहुंच संबंधी मानकों को अपनाया जाना होना कि पुनर्निर्माण के सभी कार्यों को राज्य आयुक्त से परामर्श करके करना होगा । आपदा प्रबंधन दल को आपदा तैयारी, बचाव और पुनर्वास के दौरान दिव्यांगजनों के लिए अपेक्षित विभिन्न युतियुक्त आवासन उपायों के संबंध में प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

६. गृह और कुटुम्बः

इस अधिनियम में दिव्यांग बालकों के लिए कुछ

विशेष अधिकार बनाए गए हैं । उनमें से एक है कि प्रत्येक बालक को अपने अभिभावक के साथ रहने का अधिकार है और उन्हें केवल दिव्यांगता के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायालय उस बालक के लिए बालक की खुशी, सुरक्षा, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए दूसरे विकल्प के रुप में कोई आदेश नहीं देता । दिव्यांग बालक को दूसरी जगह रखे जाने के संबंध में निम्नलिखित विकल्प में वरियता को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

(१) नजदीकी नातेदार (जब अभिभावक बालक की देखभाल करने में असमर्थ हो ।

(२) कौटुम्बिक परिवेश में समुदाय में

(३) सरकारी या गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आश्रय स्थल (आपवादात्मक परिस्थितियों में अंतिम समाधान के रुप में जब कोई अन्य विकल्प संभव न हो)

इस विचार को महत्व देते हुए इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि बालक के विकास के लिए सर्वोत्तम पर्यावरण उसके कुटुंब में मिल सकता है और यदि यह संभव नहीं है तो उसे सामुदायिक व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाए, किसी संस्था में नहीं ।

दिव्यांगजनों के अधिकारों संबधी यूएन कन्वेशन में उनके घर और कुटुंब के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए हैं । उसमें कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व होगा कि दिव्यांगजनों के साथ विवाह, पितृत्व और रिश्तेदारी संबंधित मामलों में किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसमें इस बात को मान्यता दी गई है कि समस्त दिव्यांगजनों को जो विवाह योग्य आयु है और आशायित पति-पत्नी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से परिवार बनाने का अधिकार होगा ।

प्रजनन अधिकार:

इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि यह सरकार का दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांगजन की प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे

में समुचित जानकारी तक पहुंच हो।

संस्थानों के अंदर विशेष रुप से जो मानसिक और बौध्धिक दिव्यांग है यह सामान्य प्रक्रिया है कि महिलाओं का गर्भाशय साफ-सफाई और अनुरक्षण के नाम पर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार के व्यवहार का उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वे जीवन भर गर्भधारण नहीं कर सकते। यह अधिनियम इस प्रकार की किसी भी चिकित्सकीय प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं किया जाएगा, जिससे उसकी स्वतंत्र और संसूचित सहमति के बिना बांझपन होता है।

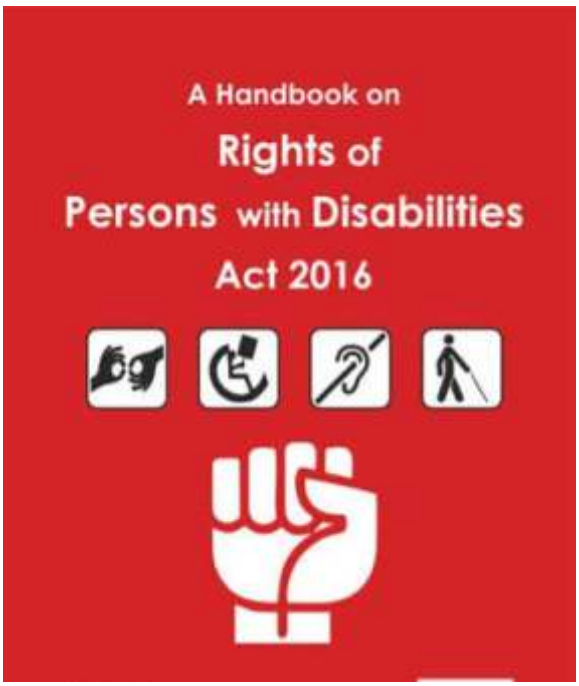

दिव्यांगजनों के अधिकारों संबंधी यू.एन कन्वेशन में यह व्यवस्था है कि दिव्यांगजनों को यह अधिकार होगा कि वे अपने बच्चों के जन्म में अंतर का निर्णय कर सकें और अपनी उम्र के अनुसार उनके पास प्रजनन और परिवार नियोजन की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

प्रजनन अधिकार:

इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि यह सरकार का दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांगजन की प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में समुचित जानकारी तक पहुंच हो।

संस्थानों के अंदर विशेष रुप से जो मानसिक और बौध्धिक दिव्यांग है यह सामान्य प्रक्रिया है कि महिलाओं का गर्भाशय साफ-सफाई और अनुरक्षण के नाम पर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार के व्यवहार का उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वे जीवन भर गर्भधारण नहीं कर सकते। यह अधिनियम इस प्रकार की किसी भी चिकित्सकीय प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं किया जाएगा, जिससे उसकी स्वतंत्र और संसूचित सहमति के बिना बांझपन होता है।

दिव्यांगजनों के अधिकारों संबंधी यू. एन कन्वेशन में यह व्यवस्था है कि दिव्यांगजनों को यह अधिकार होगा कि वे अपने बच्चों के जन्म में अंतर का निर्णय कर सकें और अपनी उम्र के अनुसार उनके पास प्रजनन और परिवार नियोजन की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

(अधिक जानकारी अगले अंक में)

अखबार नगर में बोर्ड के छात्रों के लिए पूजन और मनोदिव्यांग बच्चों के लिए खेलों का आयोजन हुआ

अखबार नगर सर्कल के पास स्थित गणेश मंदिर में स्मित चाइल्ड एज्युकेशन ट्रस्ट और गायत्री परिवार नारणपुरा, गुजरात दर्दी लोक कल्याण ट्रस्ट के सहयोग से मनोदिव्यांग बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु आउटडोर, इनडोर के विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया था. । कार्यक्रम के अंत में मनोदिव्यांग बच्चों के लिए टोकन पुरस्कार और मिष्टान्न के साथ भोजन का वितरण किया गया था । गायत्री परिवार के संस्थापक श्री पंडित राम शर्मा आचार्य के आध्यात्मिक जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वसंतोत्सव ज्ञानप्राप्ति के लिए सरस्वती पूजन, कलम पूजन के उत्सव का सभी मनोदिव्यांग बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ आनंद उठाया था । इन बच्चों के साथ साथ 10वी और 12 वी कक्षा के जो छात्र बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उन्हें परीक्षा में अच्छी सफलता मिले इस हेतु सरस्वती पूजन, कलम पूजन का भी आयोजन किया गया था।

इस कार्यक्रम में 100 से भी अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था । कार्यक्रम के आयोजन में जुडी सभी संस्थाओं के सभी सदस्य भी उपस्थित थे ।

विकलांग मानव मंडल साधली में समूह विवाह का आयोजन

विकलांग मानव मंडल साधली में समूह विवाह का आयोजन किया गया था । वर्तमान समय में बढ़ती मंहगाई और फिजूल खर्ची के कारण गरीब मां-बाप को अपनी संतानों के विवाह को लेकर चिंता रहती है । गरीब मां बाप सम्मान के साथ अपनी संतानों के विवाह संपन्न कर सके इसलिए साधली में समूह विवाह का आयोजन किया गया था । इस समूह विवाह में 9 युगलों का समूह विवाह संपन्न हुआ । समूह विवाह में सम्मिलित इन युगलों के लिए कई दाताओं ने अपनी इच्छाशक्ति और यथाशक्ति दान कर के पुण्य का कार्य किया है । इस समूह विवाह में जिन कन्याओं का विवाह आयोजित किया गया था वे अनाथ और बिन मां बाप की कन्याएं थी । इस विवाह समारोह में रुक्ष्मणी देवी ने सभी नव विवाहित युगलों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि समाज में देखा देखी में विवाह में जो अनावश्यक खर्च होता है उसे बंद करना चाहिए । समूह विवाह का उद्देश्य अनावश्यक खर्च को बंद करना है लेकिन यह उद्देश्य तब मारा जाता है जब यहां पर विवाह संपन्न होने के बाद भी घर पर लोगों को खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है । सिर्फ खानपान का ही नहीं किंतु अन्य लेनदेन का खर्च भी किया जाता है । कई बार मां बाप देखा देखादेखी में ऐसी फिजूलखर्ची के लिए कर्ज करते हैं और उम्रभर उस कर्ज को चुकाने के लिए मजदूरी करते रहते हैं । समूह विवाह में उपस्थित सभी मेहमानों और नवयुगलों को भविष्य में इस तरह के अनावश्यक खर्चों को बंद कर के समूह विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए आह्वान किया था, इस तरह के खर्चों से बचे पैसों से नवयुगलों का नया संसार अच्छी तरह से शुरु हो सकता है ।

विकलांग समूह विवाह

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट

संचालित (N.G.O.)

ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर

मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क तालीम संस्था

▲ World Autisum Day ▲Table Tennis Competition ▲ Painting Competition ▲Sports Day Celebration
▲Rakshabandhan Celebration ▲ 15th August Celebration ▲Janmashtami Celebration
▲ Anand Niketan School Visit ▲ Picnic ▲ Traffic Awareness Program Navratri Celebration

शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करें

सुमेल ५, हाउस नं.: ४८/डी, बिजनेस पार्क, चामुंडा ब्रीज कोर्नर,
असारवा, अहमदाबाद-३८००१६ मो.: 99749 55125, 99749 55365

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर